भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्याः101
22 नवम्बर, 2011 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

पी सी और पी एन डी टी अधिनियम, 1994 का अनुवीक्षण और कार्यान्वयन

101. **डा॰ जनार्दन वाघमरेः** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने गर्भाधान पूर्व और प्रसवपूर्व निदान–तकनीक (पी सी और पी एन डी टी) अधिनियम, 1994 के अनुवीक्षण और कार्यान्वयन के लिए प्रकोष्ठ स्थापित करने हेतु राज्यों को निधि प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बालिका भ्रूण हत्या अभी भी सरकार के समक्ष गंभीर चुनौती बनी हुई है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने पी सी और पी एन डी टी अधिनियम के प्रभावी अनुवीक्षण और कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

उ त्त र
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बन्द्धोपाध्याय)

(क) और (ख) : जी हाँ, भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत गर्भाधारक पूर्व एवं प्रसवपूर्व नैदानिक, तकनीक अधिनियम, 1994 के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण करने के लिए प्रकोष्ठ स्थापित करने के लिए वर्ष 2011-12 की अपनी वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना में 322.37 लाख रूपये अनुमोदित किए हैं।

(ग): वर्ष 2011 की जनगणना (अंनतिम) के अनुसार बाल- लिंगानुपात वर्ष 2001 में 927 से कम होकर वर्ष 2011 में 914 हो गया है। इसलिए लिंग चयन के कारण होने वाली बालिका-भ्रूण- हत्या एक गंभीर चुनौती है।

(घ): गर्भधारण से पहले एवं बाद लिंग चयन का निषेध करने, प्रसव-पूर्व नैदानिक तकनीक का विनियमन करने तथा लिंग निर्धारण और उसके बाद बालिका भ्रूण हत्या के लिए उनके दुरूपयोग को रोकने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा गर्भधारण -पूर्व एवं प्रसव-पूर्व नैदानिक तकनीक (लिंग चयन निषेध) अधिनियम , अधिनियमित किया गया तथा वर्ष 2003 में इसमें आगे और संशोधन किया गया।

भारत सरकार द्वारा अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन को सुदृढ़ बनाने के लिए हाल ही में शुरू की गई पहलों में निम्नलिखित शामिल है अपंजीकृत मशीनों को जब्त करने और अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण कराने में असफल संगठनों को और दंडित करने के उपाबंध के लिए गर्भाधारण पूर्व तथा प्रसव-पूर्व नैदानिक तकनीक, नियमावली, 1996 के नियम 11(2) में संशोधन किया गया है ।

- राष्ट्रीय निरीक्षण और अनुवीक्षण समिति का पुनर्गठन किया गया है और निरीक्षण करने के अतिरिक्त निरीक्षणों के दौरान अधिनियम के अंतर्गत उल्लंधन किए जाने के दोषी पाए गए संगठनों के विरूद्ध समुचित प्राधिकारियों द्वारा की जाने वाली अनुवर्ती कार्रवाई का निरीक्षण करने के लिए और अधिक अधिकार प्रदान किए गए हैं ।
- जागरूकता सृजन के लिए संसाधनों के लक्षित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए प्रसव-पूर्व नैदानिक तकनीक-गैर सरकारी संगठन सहायता-अनुदान योजना के लिए प्रचालनात्मक दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया है।
- गर्भाधारण पूर्व और प्रसव-पूर्व नैदानिक तकनीक अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित मूलभूत ढाँचे को सशक्त बनाने और मानव संसाधनों में वृद्धि करने के लिए राज्यों को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत उपलब्ध निधियन का लाभ उठाने के लिए कहा गया है।